

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-311/2021-22/.....

23 (आप)

मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

मुख्य अनुदेशक,
मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची।

राँची/दिनांक 27.03.2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/उप शीर्ष-71-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कुल मो0 13,24,740/-रु0 मात्र (तिरह लाख चौबीस हजार सात सौ चालीस) रुपये मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- स्वीकृत्यादेश सं0 66 रा0 (वि0) दिनांक 27.03.2025 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 2667 तथा आवंटन सं0 97 आ0 (वि0) दिनांक 27.03.2025 ऑनलाईन आवंटन सं0 5687।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग सं0 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-71-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत मो0 13,24,740/-रु0 मात्र (तिरह लाख चौबीस हजार सात सौ चालीस) रु0 मात्र, स्वीकृत्यादेश सं0 66 रा0 (वि0) दिनांक 27.03.2025 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 2667 तथा आवंटन सं0 97 आ0 (वि0) दिनांक 27.03.2025 ऑनलाईन आवंटन सं0 5687 के आलोक में निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो0 13.2474 लाख (तिरह लाख चौबीस हजार सात सौ चालीस) रु0 मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. (क) वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-23/बी०टी०ई०-11/2023-24/ 257/बजट दिनांक-21.03.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।

(ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जायगी।

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग सं0 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-उप शीर्ष-71-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत आवंटित राशि निम्न प्रकार है:-

क्र0	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण 45 निर्माण कार्य	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S44050079671010545	
1	2	3	4
1	मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची	1324740	1324740
कुल योग:		1324740	1324740

कुल आवंटित राशि मो0 तेरह लाख चौबीस हजार सात सौ चालीस रु0 मात्र।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। नियमित लेखा मिलान (रिकान्सिलिएशन) कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
6. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
7. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. स्वीकृत्यादेश सं0 66 रा0 (वि0) दिनांक 27.03.2025 के कंडिका-6 के आलोक में राशि की निकासी एकमुश्त करते हुए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल-2, भवन निर्माण विभाग, राँची को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
10. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाय।
11. स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के निदेश का अक्षरशः पालन किया जाए।

23(आप)
27/03/2025

7

12. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 23(आ0) मत्स्य/ राँची, दिनांक 27.03.2025

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल सं0-2, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 23(आ0) मत्स्य/ राँची, दिनांक 27.03.2025

प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल-2, राँची/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 23(आ0) मत्स्य/राँची, दिनांक 27.03.2025

प्रतिलिपि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक एवं उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

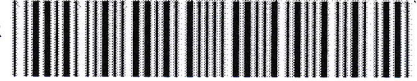
Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चात् वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/311/24-25/23

दिनांक - 27-Mar-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 44050079671010545 4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 71 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना 01-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : FISHERIES EXTENSION, RESEARCH AND TRAINING SCHEME(0564) Central Scheme : NA	105092	DRNFSH011 PRASHANT KUMAR DEEPAK CHIEF INSTRUCTOR F.F.TC RANCHI 45 - निर्माण कार्य	1,324,740.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार सात सौ चालीस



योग: रुपये तेरह लाख चौइस हजार सात सौ चालीस

1,324,740.00

क्रमिक योग:

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 71 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S44050079671010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Doranda	DRNFSH011	Prashant Kumar Deepak	Chief Instructor F.F.Tc Ranchi	₹13,24,740.00 (105092)	₹13,24,740.00

कुल आवंटित राशि :- ₹13,24,740.00 (rsjg yk[k pkSbl gtkj lkr lkS pkyhl) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

23 (आव)
27/03/2025

27/03/25
(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES